पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-78/2005 - 195 (पें0) /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-16-02-2023

विषयः- **वित्त विभागीय संकल्प सं0-607 दिनांक-01.10.2020 की कंडिका-3(ii) से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में ।**

प्रसंगः **भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-218/6/2022/EPS दिनांक-04.05.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-607 दिनांक-01.10.2020, जो लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान से संबंधित है, की कंडिका-3(ii) में अंकित है कि ''निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें 30 लाख रू0 अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा ।''

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-218/6/2022/EPS दिनांक-04.05.2022 द्वारा निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मी/सुरक्षा कर्मी जिनकी मृत्यु COVID-19 संक्रमण से हो गयी है, के लिए निम्न दिशानिर्देश दिया गया है :-

The commission has reviewed the matter and has directed to grant exgratia compensation to the families of polling personnel/security personnel who died due to COVID in all such cases where the following conditions are fulfilled:

1. The person should be deployed as well as performed election duty.

..............2

2. There should be a cogent relationship between his election duty and his contracting COVID.

3. The COVID report should be withing 15 days from the performance of election duty of polling personnel/security personnel.

4. There should be a Medical certificate/Death certificate of a hospital mentioning that the death took place due to COVID.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुरूप ही COVID-19 संक्रमण से मृत निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी के मामलों का निष्पादन किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
सरकार के विशेष सचिव ।

15.2.23